

आउम

- कार्यालय — उपनिबधक सदर तहसोल आगरा
किस्म दस्तावेज — बैनामा
1. कीमत ——रूपया
 2. सरकारो कीमत ——रूपया
 3. सर्किल रेट ——रूपया जो सर्किल रेट के पारूप 2 के पज नम्बर कमांक पर दज ह।
 4. निर्माण दर——रूपया प्रति वर्गमीटर पटाव आर. सी.सी
 5. स्टाम्प ——रूपया का महिला छट सहित स्टाम्प सरकार का नियमानुसार अदा

किया गया ह। जिसका इस्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर

6. कुल क्षेत्रफल — वर्गमीटर
7. कारपेट एरिया— वर्गमीटर
8. सुपर कवड एरिया — वर्गमीटर
9. सडक को स्थिति— रास्ता मीटर चौडा
10. अन्य विवरण — जायदाद दा रास्त का नहीं ह लेकिन पाक फेस का है।

विवरण विकोट जायदाद—

जा कि एक किता भवन मय जमला इमारत तामोरा आर जा कछ [] उससे ताल्लक रखतो है आर जा जाहिर व बातिन है आर मावन हद्द है मय चार दोवारी मय जमोन जरोन वर्गमीटर जा भवन नम्बर (प्लाट नम्बर) खसरा नम्बर 1612 व व का भाग है पमाइशो

..... मोटर वाई मोटर है वाकै द्वारकेश ग्राण्ड मौजा कुण्डौल (यू0पी0 रैरा))

जिला आगरा कि वही निर्माण बनामा हाजा म वणित है उक्त जायदाद के अन्तरण हान से भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 27(1) के पाविधाना का हनन व उल्लंघन नहीं हा रहा है आर ना ही काइ तथ्य

(2)

छिपाया गया है।

निम्न सीमांकित —

पूरब—

पश्चिम —

उत्तर—

दक्षिण —

नाम विक्रेता — एक

कृष्णा बिल्ड जोन एल0एल0पी0

(पेन—..... स्थित एफ/2, फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक नं0—ई 13/6, रमन टॉवर, संजय प्लस आगरा द्वारा पार्टनर श्री उपेन्द्र छाबड़ा पत्र स्व0 श्री सुभाष छाबड़ा निवासी— 72, पांडण्व नगर, आगरा मोबा— 8979699333

एवम्

नाम केता द्वितीयपक्ष को संख्या — एक

.....

प्रलेख —

.....

व

.....

वय व हर प्रकार की दनदारियां वगरा से
कतई पाक व साफ है अगर बाद तकमोल बनामा

हाजा खिलाफ इसके जाहिर या साबित हाव ता

एसी तमाम सर्तां मं पथमपक्ष जमला नतायज कान्नी के जिम्मदार हांगे
अब पथमपक्ष का जायदाद मजकर का बचना हस्व जरूरत अपनी
व मिलन कोमत माकल वक्त माजदा के मंजर ह। लिहाजा पथमपक्ष ने
अपनी राजी व खशी स खब साच व समझकर विला बहकाये व
सिखाय किसी दोगर ाख्स के व विला किसी दवाब नाजायज के व
विला खाय किसी नशोली ा के जायदाद मजकूरावाला मय जमीन जेरीन
का मय जमला हक हक्क मत्ल्लिका उसके का विला इस्तस्नाये किसी
ा व जज ा व हक के व मय जमला हक्क

दाखिलो व खारिजो क विल एवज मुबलिग

..... रुपया के आध जिसक मुबलिग रुपया हात
हं मं बदस्त द्वितीय पक्ष के वय कतई किया आर बच दिया। आर कोमत
का कल रुपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से इस तरह पर वसूल पाया —

चैक/एनईएफटबैंक नाम

नम्बर	1	(3)	दिनांक	धनराशि

जिसका इकबाल पथमपक्ष समक्ष श्रोमान सबरजिस्टार साहब आगरा कर रहा ह। आर यदि चक का भुगतान नियत तारीख पर नहीं हा पाता है ता यह बनामा निरस्त माना जायगा। इस पकार अब बावत कोमत मजकर व जिम्मे कता द्वितीयपक्ष कछ भो पाना बाकी नहीं रहा आर ना ही आयन्दा हागा। लिहाजा पथमपक्ष ने कब्जा व दखल विकोत जायदाद पर कता द्वितीय पक्ष का करा दिया आर द्वितीय पक्ष का विकोत जायदाद का मालिक मुस्तकिल बना दिया अब कता द्वितीय पक्ष का हक व अधिकार है कि विकोत जायदाद स वहैसियत मालिकाना चाह जैस लाभ उठावें आर उसम चाहै जसी तामोरात व रददाबदल वगरा कराव आर वक्त जरूरत रहन, व, हिवे वगरा जा चाहे सा कर आर अपने नाम का इन्दाज महकमा मजाज मं जरिये बनामा हाजा दज करा लें।

जायदाद कम्पलोट गड टाइटिल के साथ वय की गयो ह। आर आज तक का उक्त जायदाद का जा भो हाउस टक्स, वाटर टक्स व बिजलो बिल हागा उसका पथमपक्ष अदा करगा आर आज के बाद कता द्वितीयपक्ष अदा करगा। अब किसी भो तरह का काइ हक व हिस्सा व कब्जा व दखल उक्त

जायदाद मं पथम पक्ष व उनके वारिसान का नहीं रहा आर न आयन्दा होगा।

अगर भविष्य मं वजह दावदारो किसी हकदार या हिस्सेदार को स या नुक्श टाइटिल प्रथम पक्ष की से विकोत जायदाद का काइ जज या कल कब्जा व दखल कता द्वितीय पक्ष से निकल जाव

या कता द्वितीय पक्ष का काइ रकम बार किफालत वगरा की किसी का अदा करनी या दनी पड ता एसी तमाम सुरता मं जवाबदही उसकी व वापसो अदायगी जर समन मजकर मय, सद हर्जा व खचा व लागत के जिम्म जात-खास व जमीन चल व अचल हर किस्म

(4)
पथम पक्ष व उनके वारिसान क ह व रहेगो और इसमें कोइ तथ्य छिपाया नहों गया है आर विकता के फाटा की शिनाख्त बनामा म लिख गवाहा के द्वारा की गयो ह। आर उक्त जायदाद नजूल

सरकार व राजकोय आस्थान व दवोय स्थान की नहों ह। बनामा के साथ दा-दा किता फाटो दाना पक्षा के संलग्न किये जा रह ह तथा जायदाद का फाटा बनामा म चस्पा किया जा रहा है। यह कि बिकोत जायदाद का द्वितीयपक्ष का निम्नलिखित शतो पर विकय किया गया है—

1. उक्त परिसर का रखरखाव और प्रबंधन अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सौंप दिया जाएगा, या जिस तारीख तक अपार्टमेंट का साठ प्रतिशत विक्रेता ६ आवंटी को सौंप दिया गया है। , इनमें से जो भी पहले हो। हालाँकि, यदि ऐसा संघ नहीं बनता है, तो रखरखाव एजेंसी उक्त परिसर की रखरखाव और प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना जारी रखने का विकल्प चुन सकती है और विक्रेता रखरखाव शुल्क का भुगतान जारी रखने के लिए सहमत होते हैं, जैसा कि रखरखाव के संदर्भ में विक्रेताधररखाव एजेंसी द्वारा तय किया जा सकता है। विक्रेता ऐसे अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का सदस्य बनने और इसके उपनियम के अनुसार इसके गठनघठन पर सदस्यता शुल्क का भुगतान करने का वचन देते हैं, सहमत होते हैं और वचन देते हैं।
2. यह कि सासाइटो का मन्टनन्स का जा भो चार्ज आयगा उसका कता द्वितोय पक्ष का पत्यक माह की 7 तारोख तक दना अनिवाय होगा जा केता पर लाजिमो व जरूरी है व रहगा अन्यथा द्वितोय पक्ष का उक्त सविधाआ से वचित किया जा सकता है जिसमं द्वितोय पक्ष का काइ एतराज नहीं होगा।
3. यह कि आगरा विकास पाधिकरण की समस्त शत एव नियमा का पालन करना द्वितीय पक्ष का अनिवाय होगा।
4. यह कि टाउनशिप के जा भो नियम व शत हांगी वह कता द्वितोय पक्ष का लाजिमो व जरूरो है व रहेंगी।
5. यह कि कता का कवल उक्त मकान का विकय किया गया है कता का उक्त मकान क बाहर किसी भो तरह क निर्माण, कामकाज आदि म दखल एव हस्तक्षप करने का अधिकार नहीं होगा।
6. यह कि कता द्वितोय पक्ष का सासाइटो की समस्त नियमा का मानना अनिवाय होगा।
7. यह कि कता द्वितोय पक्ष मकान के बाहर के एलोवशन म रददाबदल नहो कर सकेगा।
8. यह कि द्वितीय पक्ष जब भो भविष्य म उक्त मकान का विकय आदि करता है ता उसका पथम पक्ष उक्त सासाइटो से एनओसो लेना अनिवाय होगा।

9. यह कि कता द्वितीय पक्ष⁽⁵⁾ ने उक्त मकान के टाइटिल का एवं मकान की समस्त निमाण का बारोकी से जाच व परख लिया है आर पण संतुष्ट हान के बाद ही उक्त मकान का कय किया है।
10. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त मकान के निर्माण को बावत कोइ दावा व झगडा भविष्य में सोसाईटो स नहीं करेगा।
11. यह कि विकय विलख मं दिया गया कीमत का प्रतिफल का संपूण रूपया विकेता सोसाईटो का प्राप्त हा जायेगा तभी उक्त सासाईटो द्वारा उक्त मकान का कब्जा व दखल यानि पजशन कता द्वितीय पक्ष का दिया जायगा जिसमं द्वितीय पक्ष का काइ ऐतराज नहीं है।
12. यह कि बनामा मं लिखित समस्त शत मकान मालिक एवं किरायदारा का मान्य रहेगी।

गवाह—

गवाह—